

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2012/आश्विन 18, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159
No. 170] DELHI, WEDNESDAY OCTOBER 10, 2012/ASVINA 18, 1934 [N.C.T.D.No. 159

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2012

सं. एफ. 25/2/89-स्वा. एवं परि. क./भा-II/पार्ट फाइल/3960.—दिल्ली होम्योपैथिक (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) के साथ पठित दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 (1956 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सदस्यों के रूप में तत्काल नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	नाम व पता	धारा
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. केवल कृष्ण जुनेजा एफ-21, प्रीत विहार, दिल्ली-92	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन
2.	डॉ. आदित्य नारायण कौशिक ओ-14, परवाना विहार, सेक्टर-9 रोहिणी, दिल्ली	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन
3.	डॉ. राजकुमार सहोता ए-64, हौज खास, नई दिल्ली-16	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन
4.	डॉ. रमेश चन्द अग्रवाल डब्ल्यू जेड-41ए, मिनाक्षी गार्डन, नई दिल्ली	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन
5.	डॉ. लाल सिंह, एन-65, गौतम नगर, नई दिल्ली-49	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन

6.	डॉ. मान सिंह 44/2 डी, सेक्टर-2, डी आई जेड एरिया, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन
7.	डॉ. (श्रीमती) अनिल कुमारी मल्होत्रा प्रधानाचार्य, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-24	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन पदेन सदस्य
8.	डॉ. सुरेंद्र वर्मा उप-निदेशक (होम्योपैथिक) (एन एफ एस जी) सी एस सी-III, प्रथम तल बी ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली-110092	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन पदेन सदस्य
9.	डॉ. नरेंद्र नाथ 41, शालीमार पार्क, शाहदरा, दिल्ली-32 (दिल्ली विधानसभा के माननीय विधायक)	उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन पदेन सदस्य

सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा तथापि पदेन सदस्यों की नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की अवधि तक जारी रहेगी।

डॉ. के. के. जुनेजा दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अध्यक्ष होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रवीण वर्मा, उप-सचिव (स्वास्थ्य)

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th October, 2012

No. F. 25/2/89/H&FW/Vol.II/Pt. File/3960.—In exercise of the power conferred under sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Delhi Act No. 11 of 1956) read with the Delhi Homoeopathic (Amendment) Act, 1996 (Delhi Act No. 11 of 1996), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following as members to the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi with immediate effect:

S. No	Name & Address	Section & Clause
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Kewal Krishan Juneja, F-21, Preet Vihar Delhi-92	As per clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
2.	Dr. Aditya Narain Kaushik, O-14, Parvana Vihar, Sector-9, Rohini, Delhi	As per clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
3.	Dr. Raj Kumar Sahota, A-64, Hauz Khas, New Delhi-16	As per clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
4.	Dr. Ramesh Chand Aggarwal, WZ 41A, Meenakshi Garden, New Delhi	As per clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
5.	Dr. Lal Singh, N-65, Gautam Nagar, New Delhi-110049	As per clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
6.	Dr. Man Singh, 44/2 D, Sector 2, D.I.Z. Area Gole Market, New Delhi-110001	As per clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
7.	Dr. (Mrs.) Anil Kumari Malhotra, Principal, Nehru Medical College, B-Block, Defence Colony, New Delhi-24	Ex-officio member as per clause (c) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act
8.	Dr. Surender Verma, Deputy Director (H) (NFSG) Homoeopathic Wing Dte. of ISM & Homoeopathy,	Ex-officio member as per clause (d) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act

9. CSC-III, 1st floor, B-Block, Preet Vihar,
Delhi-110092
Dr. Narender Nath
41, Shalimar Park, Shahadra,
Delhi-110032.
(Hon'ble member of State Legislative
Assembly)

Ex-officio member as per clause (e) of
sub-section (2) of Section 3 of the said Act

The terms of all members shall be for a period of 3 years, however, continuation of ex-officio members shall be co-terminus with their posts.

Dr. K. K. Juneja shall be the Chairman of the Board of Homoeopathic System of Medicine as per Section 4 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Delhi Act No. 11 of 1956).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PRAVEEN VERMA, Dy. Secy. (Health)